

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	<p>द्वितीयक प्रत्यक्ष उपस्थित/राजस्व अपील अधिकारी का हुक्म पर है। वसु: पत्रावली मुकदमा नं. 18.1.16</p>
5 ¹ / ₁₆	<p>द्वितीयक प्रत्यक्ष उपस्थित/राजस्व अपील अधिकारी का हुक्म पर है। वसु: पत्रावली मुकदमा नं. 18.1.16</p>
18 ¹ / ₁₈	<p>द्वितीयक प्रत्यक्ष उपस्थित/राजस्व अपील अधिकारी का हुक्म पर है। वसु: पत्रावली मुकदमा नं. 22.1.16</p>
22.01.18	<p>पत्रावली फेरा हुई। (अभिभाषण उभयपक्षा उपस्थित) (अपी. एवं रेसपो. द्वारा अग्रिम (अभिभाषण) जारी फेरा कर सिद्ध हो गया कि अपील के दोनों पक्षों के मध्य (आपसी) राजीनामा हो चुका है, राजीनामे के अनुसार विवादित (आराजी ख. नं. 84 ख. 0.38 हैं. वसु: ग्राम गौसमपुर त. निजारा के अपने अधिकार असल रेसपो. अपीलान्त, एवं त. रेसपो. के ह. से त्याग कर रहे हैं। एवं विवादित (आराजी ख. नं. 83 ख. 0.54 हैं. वसु: ग्राम गौसमपुर त. निजारा के अपने अधिकार अपीलान्त, त. रेसपो. के ह. से त्याग कर रहे हैं। अतः उक्त राजीनामे के आधार पर अपील का निस्तारण कर दारिद्र्य दफ्तर पर भेजा जावे। सहमति हेतु अपील त. रेसपो. द्वारा (आदेखित) पर हस्ताक्षर भी विद्ये जावे। जिनकी पहचान श्री अनार्दत शर्मा एवं श्री सुलकीरं सिंह शर्मा एवं द्वारा की जावे। वा. फा. वा. मिल फा. वि. जा. जा. जा.</p> <p>चूंकि अपी. एवं रेसपो. के मध्य (आपसी) राजीनामा होने पर अपील (आगे नहीं) चलाना जाने के कारण अपील इसी स्तर पर स्थिति की जाती है। फ. नं. वैसाल आधार होने नम्बर से वसु: की जा. जा. जा. तदुपरील आख्या दारिद्र्य दफ्तर की जावे।</p>

कमनिस्ट
रु. सि. सि.
गो. गो.
सु. सु.